कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सी.आई.एन.: U35201MH1990GOI223738
पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, प्लॉट नं 6, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई - 400614, महाराष्ट्र

आई.ई.पी.एफ. प्राधिकारी से विभिन्न सीरिज के के.आर. बांड का ब्याज/विमोचन राशि के लिए अदत्त / दावा न की गई राशि हेतु दावा करने की प्रक्रिया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण नियम, 2016 के 7 नियम (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण नियम, 2019 दूसरे संशोधन (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित है:

(1) आई.ई.पी.एफ. की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर अपने दावा न किए गए /अदत्त ब्याज/ विमोचन सह ब्याज राशि के लिए "search unclaimed/unpaid amount" पर क्लिक करके जांच की जा सकती है। इसके अलावा, www.konkanrailway.com/department/viewdept/bonds पर दावा न किए गए /अदत्त ब्याज/ विमोचन राशि की जाँच की जा सकती है।

(2) आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण से रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html पर उपलब्ध की गई है और 20/09/2019 से नए वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 को भरने के लिए क्रियाशील कराया गया है तथा www.iepf.gov.in/IEPF/Corporates.html पर उपलब्ध है।

3) नया वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 को भरने के बाद, बॉन्डधारक को मूल बॉन्ड सर्टिफिकेट सहित संबन्धित सभी दस्तावेजों के साथ नए वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को कंपनी सचिव, कोंकण रेलवे लिमिटेड, बेलापुर भवन, सेक्टर -11, प्लॉट नंबर 6, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614, महाराष्ट्र को अतिशीघ्र भेजना आवश्यक है ताकि कंपनी द्वारा आई.ई.पी.एफ.-5 प्राधिकरण को नए भरे हुए ई-सत्यापन रिपोर्ट 30 दिनों भीतर प्रस्तुत किए जा सके। यदि किसी मामले में, कंपनी को समय पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं तो आवश्यक दस्तावेजों के गैर-प्राप्ति के लिए दावे की अस्वीकृति की सिफारिश करते हुए, नए वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ-5 भरने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

(4) इस नियम के तहत किसी भी दावे की धनवापसी के लिए आवेदन प्राप्त किया जाता है तो कंपनी से ई-सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा विधिवत सत्यापित कर उसका निपटान किया जाएगा। यदि 60 दिनों से अधिक विलंब होता है तो विलंब के कारणों को लिखित में निर्दिष्ट करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लिखित रूप में दावेदार (बॉन्डहोल्डर) को सूचित किया जाएगा।

(5) नए वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 में किसी भी त्रुटि के मामले में, आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण त्रुटि को सुधारने के लिए एक और अवसर प्रदान करता है। आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण को संशोधित नए वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 के सुधार और पुन: जमा करने के लिए 15 दिनों की समयावधि की अनुमति है।

(6) यदि दावेदार (बॉन्डहोल्डर) कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस या प्रशासक अथवा बॉन्डधारक का नामांकित व्यक्ति हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण के पास नया वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 दाखिल करने से पहले कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन प्रक्रिया अधिनियम, 2013 की धारा 56 और उसके तहत बनाए गए नियम और नियम, 2019 के द्वितीय संशोधन के साथ आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण की अनुसूची ॥ (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) के अनुसार निर्धारित की गई है। प्रक्रिया निम्नानुसार है:

आवेदक को कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

(क) विधिवत हस्ताक्षर किए गया ट्रांसमिशन अनुरोध आवेदन ।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित की गई सभी संयुक्त धारक(कों) की मृत्यु प्रमाण पत्र (त्रों) की प्रति

(ग) आवेदक की पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (कानूनी उत्तराधिकारी / वारिस) ।

(घ) मूल बॉन्ड प्रमाण- पत्र।

(ड़) आवेदक का आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे कोई अन्य सरकारी पहचान प्रमाण-पत्र की प्रति।

(च) बांडों को कानूनी स्वामित्व की पहचान और दावे के लिए सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या वारिसों से उचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया गया शपथ-पत्र, बशर्ते कि किसी मामले में कानूनी उत्तराधिकारी या दावेदार (ओं) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र में दर्ज किया गया है या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत में प्रमाणित, प्रशासन का पत्र, ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी या दावेदारों से शपथ-पत्र एक पर्याप्त होगा।
उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, कंपनी द्वारा नए बॉन्ड प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(7) मूल बॉन्ड सर्टिफिकेट (ओं) के खो जाने के मामले में, नए वेब फॉर्म आई.ई.पी.एफ.-5 को भरने से पहले डुप्लिकेट बॉन्ड सर्टिफिकेट (ओं) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 46 और नियम, 2019 के दूसरे संशोधन,आई.ई.जी.एफ.प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) की अनुसूची III के नियम के अनुसार प्रक्रिया का पालन करके कंपनी से पुनः प्राप्त किया जा सकता । प्रक्रिया निम्नानुसार है:
(क) कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

(i) एफआईआर / पुलिस शिकायत की मूल प्रति जिसमें सुरक्षा धारक की जानकारी हो, धारक का विवरण हो, फोलियो संख्या और बॉन्ड प्रमाण-पत्र की विशिष्ट संख्या हो।

(ii) दो व्यक्तियों के गवाह सहित रु 500/- के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर निष्पादित किया गया विधिवत हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बॉन्ड।

(iii) रु 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या पब्लिक नोटरी की उपस्थिति में विधिवत सत्यापित किया गया शपथ-पत्र।

(iv) यदि बांड का मूल्य रु.10,000 से अधिक है तो बॉन्ड सर्टिफिकेट खो जाने संबंधी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के वर्तमान पत्रों में जारी की गई विज्ञापन की प्रति।

(ख) उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, कंपनी द्वारा डुप्लिकेट बॉन्ड प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(8) दावेदार (बॉन्डहोल्डर) एक वित्तीय वर्ष में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में केवल एक समेकित दावा फाइल कर सकता है।

(9) कुछ महत्वपूर्ण नियमों और सामान्य प्रश्नों के वेब पते निम्नानुसार हैं: -

(i) दिनांक 05.09.2016 का निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 www.iepf.gov.in/IEPF/pdf/Rules_06092016.pdf

(ii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) दूसरा संशोधन नियम, 2019 www.iepf.gov.in/IEPF/pdf/IEPFRules_19082019.pdf

(iii) आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण से दावा प्रक्रिया संबंधी सामान्य प्रश्न www.iepf.gov.in/IEPF/pdf/FAQsIEPF5.pdf

(10) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से संपर्क का विवरण निम्नानुसार हैं:

श्री डी. डी. कारंडे,
कार्यालय सहायक / तकनीक / बॉन्ड विभाग
ईमेल: - oa.dattaram@krcl.co.in
मोबाइल: -9967322392
लैंडलाइन: 022-27587246